फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।

(शस्त्र शाखा)

--: आदेश :–

10.2.2014

आवेदक **श्री राम नन्दन सिंह,** पिता–स्व0 नाथू सिंह, सा0–मोलदियार टोला, पो0+ थाना–मोकामा, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–373/2013 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच/ सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गई।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1636/गो0, दिनांक–14.11.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को थानाध्यक्ष, मोकामा के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अधीनस्थ पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन को मूल में संलग्न कर बिना अनुशंसा के भेजा गया है। सहायक पुलिस अधीक्षक, बाढ़ के ज्ञापांक–3653/बाढ़, दि0–28.10.2013 द्वारा थानाध्यक्ष–सह–पुलिस निरीक्षक, मोकामा के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अग्रसारित एवं गैर अनुशंसित कर भेजा गया है। थानाध्यक्ष, मोकामा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे कृषि एवं पत्रकारिता से जुड़े हैं। आवेदक के द्वारा बताया गया कि उनके घर पर 1961 में डकैती हुआ था तथा आवेदक के चचेरे भाई के साथ आपराधिक घटना घटने की बात बताई गई। तदोपरान्त आवेदक के जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। आवेदक चौसठ वर्ष से अधिक उम्र के हैं। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के बिन्दु 'क', 'ख' एवं 'ग' पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के साथ ही आवेदक को उम्र के दृष्टिकोण से अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को बिना अनुशंसा के अग्रसारित किया गया है।

अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया। शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) के तहत प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रिवाल्वर हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री राम नन्दन सिंह, पिता–स्व0 नाथू सिंह, सा0–मोलदियार टोला, पो0+थाना–मोकामा, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रिवाल्वर अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।